न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010053982017

POCSO Act/7/2019
State Government Vs. Mangal
विशेष सत्र परीक्षण संख्या 07 सन 2019

सरकार

बनाम मंगल
अ0धारा : 354,504,506 भा0दं0सं0,7/8 पोक्सो एक्ट,
3(2)(i), (2)(i) एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना : बाबूगढ ,जिला हापुड
मु0अ0सं0 111/2017

29.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मंगल व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित है । गवाह पीडिता ''एस'' भी न्यायालय में उपस्थित है ।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दि0 06.08.2024 को गवाह पीडिता ''एस'' न्यायालय में हाजिर आई । उस दिन इसकी मुख्य परीक्षा अंकित की गयी और अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रति परीक्षा अग्रिम तिथि हेतु स्थगित की गयी । उसके प्श्चात दि0 03.09.2024 को उक्त गवाह पीडिता ''एस'' जिरह हेतु न्यायालय में हाजिर आई । लेकिन इस गवाह से जिरह हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं आए । विद्वान विशेष लोक अभियेाजक द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को व्यक्तिगत रूप से सूचना देने व बार बार पुकार कराए जाने पर भी अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उक्त नियत दिनांक को जिरह करने हेतु हाजिर नहीं आए और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया । इस पर न्यायालय द्वारा उक्त नियत दि0 03.09.2024 को गवाह पी0डब्लू–2 पीडिता ''एस'' से बचाव पक्ष का जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया । उसके पश्चात दि0 20.11.2024 को अभियुक्त द्वारा गवाह पी0डब्लू–2 पीडिता ''एस'' से पुनः जिरह का अवसर प्रदान किए जाने हेतु प्रार्थनाप़त्र प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा मु0 2000/–रूपये हर्जे पर उक्त प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्त को पीडिता ''एस'' से जिरह हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया ।

Digitally signed by Umakant jindal
Date: 2025.01.30 12:14:22 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court Hapur

आज उक्त गवाह पी0डब्लू–2 पीडिता ''एस'' न्यायालय में जिरह हेतु हाजिर है , लेकिन बार बार पुकार कराए जाने पर भी अभियुक्त अपने विद्वान अधिवक्ता को जिरह हेतु बुलाकर नहीं ला रहा है । अभियुक्त द्वारा आदेश दि0 20.11.2024 के अनुपालन में गवाह पी0डब्लू–2 पीडिता को हर्जे की धनराशि भी प्रदान नहीं की गयी है और आज अभियुक्त ने हर्जे की धनराशि प्रदान किए जाने से भी इंकार कर दिया है । अभियुक्त की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । पत्रावली अत्यन्त प्राचीन एक्शन प्लान से सम्बन्धित है और अभियुक्त बार बार इस अत्यन्त प्राचीन पत्रावली के निस्तारण में विलम्ब कारित कर रहा है । अभियुक्त द्वारा न तो गवाह पीडिता से बार बार अवसर दिए जाने के बावजूद जिरह की जा रही है और न ही गवाह पीडिता को हर्जे की धनराशि प्रदान की गयी है । आज अभियुक्त की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में एक्शन प्लान से सम्बन्धित इस अत्यन्त प्राचीन पत्रावली में अभियुक्त को अन्य कोई अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित नहीं है । तदनुसार आदेश दि0 20.11.2024 का अभियुक्त द्वारा अनुपालन न किए जाने के कारण प्रभाव समाप्त किया जाता है । अभियुक्त का पी0डब्लू–2 पीडिता ''एस'' से जिरह का अवसर समाप्त किया जाता है । पत्रावली वास्ते पूर्व नियत कार्यवाही बयान अभियुक्त अर्न्तगत धारा 313 द0प्र0सं0 दि0 05.02.2025 को पेश हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।